



## THE NAINITAL BANK LIMITED

[Registered Office: G.B. Pant Road, Nainital, Uttarakhand-263001]  
CIN No. U65923UR1922PLC000234, website: www.nainitalbank.co.in  
e-mail ID: cs@nainitalbank.co.in, Phone: 05942-233739 Fax : 05942-236120

### **NOTICE TO THE MEMBERS**

Notice is, hereby, given that the 96<sup>th</sup> Annual General Meeting of the members of The Nainital Bank Limited shall be held at State Guest House (Nainital Club) Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) on Tuesday, the 31<sup>st</sup> day of July, 2018 at 10:00 A.M. (IST) onwards, to transact the following business:

#### **Ordinary Business**

1. To receive, consider and adopt the Annual Financial Statements of the bank for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018, together with the report of the Directors and Auditors thereon.
2. To declare dividend on equity shares for the Financial Year 2017-2018.
3. To appoint a director in place of Mr. Rakesh Kumar Bhatia (DIN 07583156) who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.
4. To re-appoint M/s. PSMG & Associates, Chartered Accountants, Ghaziabad [FRN 008567C], as Central Statutory Auditor from the conclusion of this Annual General Meeting until conclusion of next Annual General Meeting and to authorise Board of Directors to fix their remuneration.

“**RESOLVED THAT** subject to the provisions of Section 139 and 142 of the Companies Act, 2013, Section 30 of the Banking Regulations Act, 1949 and guidelines issued by Reserve Bank of India, M/s. PSMG & Associates Chartered Accountants (Firm Registration No. 008567C), who have offered themselves for re-appointment and have confirmed their eligibility to be appointed as Central Statutory Auditors in terms of Section 141 of the Companies Act, 2013 and applicable rules, be and are hereby re-appointed as the Central Statutory Auditors of the bank to hold office from the conclusion of the 96<sup>th</sup> Annual General Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting of the bank.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby, authorized to fix the remuneration of the Central Statutory Auditor for the Financial Year 2018-19.”

#### **Special Business**

5. **Re-Appointment of Director – Mr. Mradul Kumar Agarwal**

**To consider and if thought fit, to pass with or without modifications, the following resolution as special resolution:**

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of sections 149 and 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr. Mradul Kumar Agarwal (DIN 06583516), be and is hereby re-appointed as an Independent Director of the bank, not liable to retire by rotation and to hold office for a second term of 3 (three) consecutive years on the Board of the bank.”

6. **To consider and if thought fit, to pass with or without modifications, the following resolution as an ordinary resolution:**

“**RESOLVED THAT** the Board of Directors be and is hereby authorised to appoint from time to time, in consultation with the Central Statutory Auditors, on such remuneration and on such terms and conditions, as the Board may deem fit, persons qualified for appointment as Branch Auditors of the Bank under Section 143 (8) of the Companies Act, 2013 to audit the accounts of the Branch Offices of the bank for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2019 subject to prior approval of the Reserve Bank of India”.

### **MEMORANDUM OF INTEREST**

Regarding Item No. 3 and 5 the respective Directors are interested only in so far as their re-appointment is/are concerned.

By **Order of the Board of directors**

Place: Noida  
Date: June 21, 2018

(Mukesh Sharma)  
Chairman & C.E.O.

**ANNEXURE TO THE NOTICE**  
**Explanatory statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013**

**Item No. 4.**

As required under Section 30 (1-A) of Banking Regulation Act, 1949, necessary permission of Reserve Bank of India is being sought for approval of M/s PSMG & Associates Chartered Accountants Ghaziabad for appointment as Central Statutory Auditors of the bank for the period upto the conclusion of the next Annual General Meeting. The Board recommends the passing of this resolution.

**Item No. 5.**

Mr. Mradul Kumar Agarwal (DIN 06583516) is a Chartered Accountant and was appointed as Director on the Board w.e.f. May 09, 2013. He has completed tenure of 5 years on the Board of the bank. As per the policy of the bank the Independent Director/s shall hold the office upto the date on which he/they attains upper age of 70 years/five (5) consecutive years/the date of completion of eight (8) years and shall not be liable to retire by rotation in terms of Section 152(6) of the Companies Act, 2013. Subject to above, once he completes a term of five years, his re-appointment is subject to the approval by the members by ordinary/special resolution and having regard to the provisions of The Banking Regulation Act, 1949 and the extant guidelines. The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee on the basis of the report of performance evaluation of Independent Directors has recommended reappointment of Mr. Mradul Kumar Agarwal for a second term of 3 (three) consecutive years on the Board of the bank. The Board also recommends the passing of this resolution.

**Item No. 6.**

It is not practicable to have all the branch offices audited by the Central Statutory Auditors. It is, therefore, proposed that Board of Directors be authorised to appoint persons qualified for appointment as Branch Auditors of the bank, which are not audited by the Central Statutory Auditors, as the Board may deem fit, in consultation with the Central Statutory Auditors.

None of the Directors or Key Managerial Personnels (KMP) or relative/s of Director/s and KMP is/are concerned or interested in the Resolution of Item No.4 of the accompanying Notice.

The Board recommends the passing of this resolution.

**NOTES**

- a) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting ("Meeting/AGM") is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the bank. A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding 50 and holding in the aggregate not more than 10% of the total share capital of the bank. Further, a member holding more than 10% of the total share capital of the bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. The instrument appointing proxy in order to be valid and effective should be lodged/deposited with the bank at its registered office not later than forty eight (48) hours before the commencement of the meeting.
- b) The Register of Members and Share Transfer Book of the bank will remain closed from July 24, 2018 to July 31, 2018 (both days inclusive).
- c) Dividend for the year ended March 31, 2018, if approved, will be payable to those members whose names are on the Register of Members of the bank on July 31, 2018.
- d) Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the Financial Years 2010-11 to 2017-18 are requested to immediately forward the same to the bank for revalidation.
- e) Members are requested to intimate the bank for changes, if any, in their registered address, at an early date quoting their folio number.
- f) Members/proxies should bring the attendance slip duly filled in for attending the meeting. Members are requested to note that time of registration of names for attending the Annual General Meeting shall be at the State Guest House (Nainital Club) Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) at 10.00 A.M. onwards on Tuesday, the 31<sup>st</sup> day of July, 2018. Member/s, who appoint/s Proxy/ies, are requested to ask your appointed Proxy/ies to bring his original ID proof, together with a legible photocopy thereof, at the time of attending the meeting, in absence whereof, it shall not be possible to allow your Proxy to attend the meeting, which please note.
- g) Members /proxies are requested to bring copies of their Annual Report 2017-2018 to the meeting.
- h) Questions/queries relating the bank's Annual Accounts and other public disclosures, be intimated to the undersigned at least 3 days in advance excluding the day of the meeting so as to enable the bank to keep the information ready.
- i) All documents referred to in the accompanying Notice and the explanatory Statement shall be open for inspection at the Registered Office of the bank during the business hours on all working days upto the date of Annual General Meeting.

**MEMBERS MAY PLEASE NOTE THAT NO GIFTS/COUPONS WILL BE DISTRIBUTED.**

By **Order of the Board of Directors**

**Place: Noida**  
**Date: June 21, 2018**

**(Mukesh Sharma)**  
**Chairman & C.E.O.**



## दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

(पंजीकृत कार्यालय: जी.बी.पंत रोड, नैनीताल, उत्तराखण्ड-263001)

सीआईएन संख्या: यू65923यूआर1922पीएलसी000234, वेबसाइट: [www.nainitalbank.co.in](http://www.nainitalbank.co.in)

ई-मेल आईडी: [cs@nainitalbank.co.in](mailto:cs@nainitalbank.co.in), फोन: 05942-233739 फैक्स: 05942-236120

### सदस्यों को सूचना

यह नोटिस दिया जाता है कि दि नैनीताल बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 96वीं वार्षिक आम बैठक नीचे दिए गए कार्यों के लिए दिनांक 31 जुलाई 2018 मंगलवार को प्रातः 10.00 बजे (भारतीय समयानुसार) स्टेट गेस्ट हाउस (नैनीताल क्लब) मल्लीताल नैनीताल-263001 में आयोजित की जाएगी: :-

#### सामान्य कारोबार:

- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण उन पर निदेशक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना।
- इक्विटी शेयरों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश की घोषणा करना।
- श्री राकेश कुमार भाटिया (डीआईएन 07583156) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए जो रोटेशनसे सेवानिवृत्त हो रहे हैं और योग्यताके आधार पर उन्होंने स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए उन्होंने अपना दावा पेश किया है।
- मैसर्स पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, गाजियाबाद (एफआरएन 008567सी) को इस वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से अगली वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करना और निदेशक बोर्ड को उनका पारिश्रमिक तय करने हेतु प्राधिकृत करना।

“यह पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 142 के प्रावधानों के अधीन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 30 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन मैसर्स पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 008567सी, जिन्होंने स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए अपना दावा पेश किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 और लागू नियमों के संदर्भ में केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त होने की अपनी योग्यता की पुष्टि की है, को 96वीं वार्षिक आम बैठक के समापन सेबैंक की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक बैंक के केंद्रीय वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में पुनःनियुक्त किया गया है।”

“यह भी पारित किया गया कि बोर्ड को एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

#### विशिष्ट कारोबार:

- निदेशक की पुनः नियुक्ति— श्री मृदुल कुमार अग्रवाल

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करना:

पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और 152 के प्रावधानों, अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 (वर्तमान में लागू किसी भी सांघानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, श्री मृदुल कुमार अग्रवाल (डीआईएन 06583516) पुनः बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, वे रोटेशन से रिटायर नहीं होंगे और बैंक के बोर्ड में लगातार 3 (तीन) वर्ष के लिये दूसरी अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे।

- निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करना:

“पारित किया जाता है कि निदेशक मंडल, जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझता है, समय-समय पर केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के परामर्श से इस प्रकार पारिश्रमिक और इन नियमों और शर्तों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (8) के तहत बैंक शाखाओं के लेखा परीक्षकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधीन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के शाखा कार्यालयों के खातों का ऑडिट करने के लिए में नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है।”

#### अभिरूचि ज्ञापन

मद संख्या 3 और 5 के संबंध में सम्बंधित निदेशक केवल उस सीमा तक तक इच्छुक होंगे जहां तक यह उनकी पनुः नियुक्ति/चयन से संबद्ध है।

कृते निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: नोएडा

दिनांक : 21 जून, 2018

(मुकेश शर्मा)

अध्यक्ष एव सीईओ

**नोटिस का अनुलग्नक**  
**कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य**

**मद संख्या 4**

मैसर्स पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकारों का बैंक के केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में अगली वार्षिक साधारण सभा के समापन तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुभाग (30 1-अ) के अनुसार नियुक्ति के लिए वांछित भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति प्राप्त की जा रही है। निदेशक मंडल इस प्रस्ताव की स्वीकृति की सिफारिश करता है।

**मद संख्या 5**

श्री मृदुल कुमार अग्रवाल (डीआईएन 06583516) एक सनदी लेखाकार हैं और उन्हें 09 मई 2013 से बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बैंक के बोर्ड में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बैंक की नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक आयु की उच्चतम सीमा अर्थात् 70 वर्ष की आयु होने की तारीख तक / (5) वर्ष का निरन्तर कार्यकाल पूरा करने तक / (8) वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की तारीख तक पद पर बने रह सकते हैं और वे कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) की शर्तों के अनुरूप रोटेशन से रिटायर नहीं होंगे। उपरोक्त शर्तों के तहत एक बार उनके द्वारा अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करा लेने के बाद उनकी पुनः नियुक्ति सदस्यों द्वारा सामान्य / विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और मौजूदा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन होती है। स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर नामांकन एवं पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति ने श्रीमृदुल कुमार अग्रवाल के बैंक के बोर्ड में लगातार 3 (तीन) वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति की सिफारिश की है। बोर्ड इस प्रस्ताव को पारित करने की भी सिफारिश करता है।

**मद संख्या 6**

यह व्यवहारिक नहीं है कि केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक सभी शाखा कार्यालयों की लेखा परीक्षा करे। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को उन शाखा कार्यालयों के खातों की लेखा-परीक्षा हेतु जिनकी केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा नहीं की है, शाखा लेखा परीक्षा के लिए पात्र व्यक्तियों की केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों की सहमति से आवश्यक नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जाये। कोई भी निदेशक या मूल प्रबन्धकीय व्यक्ति (केएमपी) या निदेशकों एवं मूल प्रबन्धकीय व्यक्तियों के रिश्तेदार संलग्न नोटिस के मद संख्या-4 से संबद्धता या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल इस प्रस्ताव की स्वीकृति की सिफारिश करता है।

**टिप्पणियाँ**

- (क) बैठक में उपस्थित होने और वोट डालने के लिए पात्र सदस्य स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और वोट डालने के लिए किसी अन्य को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रॉक्सी बैंक का सदस्य हो। एक व्यक्ति 50 से अधिक सदस्यों एवं कम्पनी की कुल अंश पूंजी के समग्र रूप में 10 प्रतिशत से अधिक धारिता वाले सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नहीं हो सकता है। इसके अलावा बैंक की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक का अंशधारक और जिसके पास मतदान का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा। वह प्रपत्र, जिसके द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त किया गया हो, को वैध और प्रभावी बनाने रखने के लिए बैठक शुरू होने से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पहले बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।
- (ख) सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण पंजिका 24 जुलाई, 2018 से 31 जुलाई, 2018 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।
- (ग) 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष लाभांश यदि स्वीकृत किया जाता है तो वह उन सदस्यों को दिया जाएगा जिनका नाम 31 जुलाई 2018 को बैंक के सदस्यों संबंधी रजिस्टर में अंकित होगा।
- (घ) उन अंशधारकों, जिन्होंने वर्ष 2010-2011 से 2017-2018 तक के अपने लाभांश अधिपत्रों को नहीं भुनाया है, से अनुरोध है कि वे इन्हें तुरंत पुनः वैधीकरण हेतु बैंक को भेज दें।
- (ङ) सदस्यों से यह अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो वे उसकी सूचना अपनी शेयर धारक खाता पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए बैंक को शीघ्र दें।
- (च) सदस्यों व प्रॉक्सियों से यह अनुरोध है कि वे बैठक में शामिल होने के लिए अपना उपस्थिति पत्र पूरा भर कर लायें। सदस्य कृपया यह नोट करें कि वार्षिक साधारण सभा में सम्मिलित होने के लिए नाम का पंजीयन दिनांक 31 जुलाई 2018 को प्रातः 10.00 बजे से स्टेट गैस्ट हाउस (नैनीताल क्लब), मल्लीताल, नैनीताल-263001, उत्तराखण्ड में होगा। उन सदस्यों से जो प्रॉक्सी/प्रॉक्सियों को नियुक्त करेंगे, अनुरोध है कि वे अपने द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी/प्रॉक्सियों को सूचित करें कि वे बैठक में उपस्थित होते समय अपना मूल पहचान प्रमाण पत्र उसकी एक स्पष्ट फोटो प्रति के साथ लायें। इसके अभाव में आपके प्रॉक्सी/प्रॉक्सियों को सभा में उपस्थित होने की अनुमति देना सम्भव नहीं होगा। कृपया इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लें।
- (छ) सदस्यों/प्रॉक्सियों से यह अनुरोध है कि वे बैठक में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 की अपनी प्रति साथ लायें।
- (ज) बैंक के वार्षिक खातों से सम्बन्धित प्रश्न/सवाल और अन्य सार्वजनिक विवरण जिसकी, सदस्यगण जानकारी चाहते हों अधो हस्ताक्षरी को कम से कम 3 दिन पूर्व (सभा के दिन को छोड़कर) सूचित करें ताकि बैंक द्वारा जानकारी तैयार रखी जा सके।
- (झ) संलग्न नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज एवं व्याख्यात्मक विवरण बैंक के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के दिनांक तक सभी कार्य दिवसों पर कामकाज के समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

**सदस्य कृपया यह नोट करें कि कोई भी उपहार/कूपन नहीं दिया जायेगा।**

कृते निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: नोएडा

दिनांक : 21 जून, 2018

(मुकेश शर्मा)

अध्यक्ष एवं सीईओ



**THE NAINITAL BANK LIMITED**

[Registered Office: G.B. Pant Road, Nainital, Uttarakhand-263001]  
CIN No. U65923UR1922PLC000234, website: www.nainitalbank.co.in  
e-mail ID: cs@nainitalbank.co.in, Phone: 05942-233739

**FORM MGT-11**

**PROXY FORM**

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014].

**CIN:** U65923UR1922PLC000234

**Name of Company:** The Nainital Bank Limited

**Registered Office:** G.B. Pant Road, Nainital

Name of the member(s): .....

Registered address: ..... E-mail ID:.....

Folio No./Client Id: ..... DP ID: .....

I/ We, being the member(s) of ....., shares of the above named Company, hereby appoint

- 1. Name: ..... Address: .....  
E-mail Id: ..... Signature: ....., or failing him
- 2. Name: ..... Address: .....  
E-mail Id: ..... Signature: ....., or failing him
- 3. Name: ..... Address: .....  
E-mail Id: ..... Signature: .....

As my/our proxy to attend and vote (on poll) for me/us and on my/our behalf at the 96<sup>th</sup> Annual General Meeting of The Nainital Bank Limited, to be held on Tuesday, the 31<sup>st</sup> day of July, 2018, at 10.00 A.M. onwards at State Guest House (Nainital Club) Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) (place) and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

**Resolution No.**

- 1. .... 2. .... 3. ....
- 4. .... 5. .... 6. ....

Signed this ..... day of 2018

Signature of Shareholder: .....

Signature of Proxy holder(s): .....



**Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.**

**THE NAINITAL BANK LIMITED**

(Regd. Office: G.B. Pant Road, Nainital)

**ATTENDANCE SLIP**

I hereby record my presence at the 96<sup>th</sup> Annual General Meeting of the bank at the State Guest House (Nainital Club) Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) at 10.00 A.M. (IST) onwards on Tuesday, the 31<sup>st</sup> day of July 2018.

Full Name of the Member/  
Proxy(s) (in block letters)

Folio No. ....

No. of shares held .....

Signature of Member/Proxy

**Note: Member attending the meeting in person or by proxy are requested to complete the attendance slip and hand it over at the entrance of the Meeting Hall for registration.**



दि नैनीताल बैंक लिमिटेड  
(पंजीकृत कार्यालय: जी.बी.पन्त रोड, नैनीताल, उत्तराखण्ड-263001)  
सीआईएन संख्या: यू65923यूआर1922पीएलसी000234, वेबसाईट: www.nainitalbank.co.in  
ई-मेल आईडी: cs@nainitalbank.co.in, फोन: 05942-233739

फार्म एमजीटी-11  
(प्रोक्सी फार्म)

[कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियमों 2014) के नियम 19 (3) के अनुसार]

सीआईएन संख्या: यू65923यूआर1922पीएलसी000234

कंपनी का नाम: दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: जी.बी.पन्त रोड, नैनीताल

सदस्य(यों) का नाम .....

पंजीकृत पता: ..... ई-मेल आईडी: .....

फोलियो संख्या/ग्राहक आईडी: ..... डीपीआईडी .....

मैं/हम अपर्युक्त नामित कंपनी के ..... शेयरों के धारक निम्नलिखित को एतद्वारा नियुक्त करते हैं :

1. नाम ..... पता: .....  
ई-मेल आईडी ..... हस्ताक्षर: ..... अथवा उनके उपस्थित न आ पाने की स्थिति में
2. नाम ..... पता: .....  
ई-मेल आईडी ..... हस्ताक्षर: ..... अथवा उनके उपस्थित न आ पाने की स्थिति में
3. नाम ..... पता: .....  
ई-मेल आईडी ..... हस्ताक्षर: .....

दिनांक 31 जुलाई 2018, मंगलवार को प्रातः 10.00 बजे स्टेट गेस्ट हाउस (नैनीताल क्लब) मल्लीताल नैनीताल-263001 (उत्तराखण्ड) में होने वाली दि नैनीताल बैंक लिमिटेड की 96वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए तथा मेरी ओर से भाग लेने और मत डालने (मतदान की स्थिति में) तथा किसी स्थगन की स्थिति में नीचे दर्शाये गए किसी संकल्प के संबंध में भाग लेने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ।

प्रस्ताव संख्या:

1. .... 2. .... 3. ....
4. .... 5. .... 6. ....

2018 के ..... माह की ..... तारीख को हस्ताक्षरित

शेयरधारी के हस्ताक्षर.....

प्रोक्सी के हस्ताक्षर.....

(रिवेन्यू  
स्टाम्प  
लगाएं)

टिप्पणी- प्रोक्सी के इस फार्म को प्रभावी बनाने के लिए विधिवत पूरा भरा होना चाहिए तथा बैठक शुरू होने के 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए।

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड  
(पंजीकृत कार्यालय: जी.बी.पन्त रोड, नैनीताल)  
उपस्थिति पर्ची

मैं दिनांक 31 जुलाई 2018 (मंगलवार) को प्रातः 10.00 बजे (भारतीय समयानुसार) स्टेट गेस्ट हाउस (नैनीताल क्लब) मल्लीताल नैनीताल-263001 (उत्तराखण्ड) में बैंक की 96वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रोक्सी का पूरा नाम  
(स्पष्ट अक्षरों में)

फोलियो सं. ....

धारित शेयरों की सं. ....

सदस्य/प्रोक्सी के हस्ताक्षर

नोट: स्वयं अथवा प्रोक्सी के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्य से उपस्थिति पर्ची पूरी तरह भरकर पंजीकरण हेतु इसे बैठक हाल के प्रवेश पर सौंपने का अनुरोध किया जाता है।



# ROUTE MAP

